संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए)

Resource Support Agency (RSA)

आरएसए की सेवाएं केवल तभी ली जाएंगी जब किसी राज्य में पीओपीआई की संख्या 5 से अधिक हो. आरएसए को पीओ के सफल संवर्धन का अच्छा अनुभव होना चाहिए. प्रत्येक आरएसए राज्य में क्षेत्रीय निकटता वाले 20 से 25 पीओपीआई (जिसमें लगभग 100 पीओ शामिल है) के एक समूह की निगरानी करेगा. जहां कहीं पीओपीआई/ एफ़पीओ की संख्या अधिक है, वहां नाबार्ड एफपीओ के क्लस्टरीकरण के आधार पर 20-25 पीओपीआई या 80-100 एफपीओ के लिए एक आरएसए पर विचार करके अतिरिक्त आरएसए की सेवाएं लेने पर विचार कर सकता है. तदनुसार, एक आरएसए के तहत पीओपीआई में, जहां तक संभव हो, क्षेत्रीय निकटता हो सकती है.

The services of RSA will be engaged only if the number of POPIs exceeds 5 in a state. RSA shall have good experience in successful promotion of POs. Each RSA will supervise a group of 20 to 25 POPIs (involving around 100 POs) having regional contiguity in the state. Wherever the number of POPIs / FPOs are more, NABARD may consider engaging additional RSA/s by considering one RSA for 20-25 POPIs or 80-100 FPOs, depending on the clusterisation of FPOs. Accordingly, POPIs under one RSA may, as far as possible, have regional contiguity.

आरएसए की प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

The major roles of RSA are as under:

i.पीओपीआई हेत् क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करना

Organizing capacity building programmes for the POPIs

ii. राज्य/ क्षेत्र में गुणवत्ता वाले पीओ का संवर्धन करने के लिए पीओपीआई को आवश्यक हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना

Providing necessary handholding support to POPIs for undertaking the promotion of quality POs in the state/ region

iii. मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारकों/ सदस्यों के एकत्रीकरण में वांछित वृद्धि दर प्राप्त करना जैसे दुर्गम क्षेत्रों (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी राज्यों/ पहाड़ी संघ राज्य क्षेत्रों, द्वीपों और वामपंथी उग्रवाद (एलईडबल्यू) से प्रभावित जिलें भी शामिल हैं) में तीसरे वर्ष के अंत तक 200 और पांचवें वर्ष के अंत तक 350; जबिक 'अन्य क्षेत्रों' (अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों) में तीसरे और पांचवें वर्ष के अंत तक क्रमश 400 और 700 तक की वृद्धि हुई है.

Achieving desired growth rate in mobilization of shareholders / members having voting rights viz. 200 by end of 3rd year and 350 by end of 5th year in Difficult Areas' (comprising of North Eastern Region (NER), Hilly States / Hilly UTs, Islands and Left Wing Extremist (LWE) Districts); while 400 and 700 by the end of 3rd and 5th year, respectively, in 'Other Areas' (all other States & UTs and Non-LWE districts).

iv. एफ़पीओ के उत्पादों/ आउटपुट के आधार पर एफ़पीओ की उपयुक्त व्यावसायिक योजनाओं की तैयारी में पीओपीआई को सुविधाजनक बनाना और सुनिश्चित करना, संस्थागत ऋण सुरक्षित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और पीओ के ऋण और मार्केट लिंकेज का विकास करना.

Facilitating and ensuring POPIs in preparation of appropriate Business Plans of FPOs, based on the products/ output of the FPOs, preparation of Detailed Project Reports for securing institutional credit and development of credit and market linkages of POs.

v. संबंधित पीओपीआई द्वारा संवर्धित पीओ के समय पर खाता रखने, लेखापरीक्षा करने, कानूनी अनुपालन करने आदि की समीक्षा और उनके अनुपालन में उनको सुविधा प्रदान करना.

Review of timely account keeping, audit, legal compliance of POs, etc. promoted by the concerned POPIs and facilitate them in their compliance.

vi. पीओ के परिचालन मुद्दों के समाधान की सुविधा, यदि कोई हो.

Facilitating resolution of operational issues of POs, if any.

vii. बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सरकार और/ या कॉर्पोरेट आदि की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण की सुविधा प्रदान करना

Facilitating convergence of various Schemes of Government and /or Corporate, etc. for improved ecosystem services

viii. किसानों के लिए इनपुट की होल्डिंग/ भंडारण और वितरण/आपूर्ति और अधिसूचित बाजारों/ मंडियों में उपज के विपणन के लिए आवश्यक सांविधिक अनुमित/ अनुमोदन प्राप्त करने में पीओपीआई का मार्गदर्शन करना और उसे सुविधा प्रदान करना.

Guiding and facilitating the POPIs in obtaining the required statutory permissions / approvals for holding / storing and distribution / supply of inputs to the farmers and in marketing of the produce in notified markets/ mandis

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है आरएसए की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के आधार पर, प्रत्येक आरएसए को दृढ़ समयबद्ध वार्षिक कार्य योजना, प्राप्त किए गए माइलस्टोन और पीओपीआई की निर्धारित संख्या के लिए अन्य मापने योग्य डिलिवरेबल/ सूचकांकों और उन पीओपीआई द्वारा पोषित एफपीओ के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है. नाबार्ड द्वारा राज्य की आवश्यकताओं और आरएसए के लिए अनुदान मंजूरी के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाएगी.

Based on the roles and responsibilities of RSAs as defined above, each RSA is required to submit to NABARD a detailed proposal along with annual action plan with firm timelines, milestones to be achieved and other measurable deliverables / indicators for a specified number of POPIs and the FPOs nurtured by those POPIs. The proposal will be examined by NABARD as per the requirements of the State and accord sanction of grant to RSA.

वित्तीय सहायता के लिए आरएसए के प्रस्ताव पर पीओपीआई कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे पीओपीआई द्वारा संवर्धित और पोषित किए जा रहे एफपीओ को प्रदान की जाने वाली हैंडहोल्डिंग सेवाओं की प्रकृति/ प्रकार के आधार पर नाबार्ड द्वारा विचार किया जाएगा. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुविधा सेवाओं के लिए कुल पात्र अनुदान का मूल्यांकन केवल एक वर्ष की अविध के लिए इकाई लागत के आधार पर किया जाएगा, और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो फिर से एक और वर्ष के लिए किया जाएगा. इस प्रकार, नाबार्ड द्वारा आरएसए को अनुदान सहायता की मंजूरी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दी जाएगी.

The proposal of the RSA for financial assistance shall be considered by NABARD based on the training programmes proposed to be provided to the POPI personnel and the nature / type of handholding services to be provided to the FPOs promoted and being nurtured by such POPIs. The total eligible grant shall be assessed for various training programmes and the facilitation services on unit cost basis for one year period only, and, subsequently, if required, again for another year and so on. Thus, the sanction of grant assistance to RSAs by NABARD shall be year-on-year basis.